

Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22225

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 9404/2025

रेहान उर्फ नाटू

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता :-संतोष श्रीवास्तव, कृष्ण प्रताप गुप्ता, प्रियान्शु शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. अभियोजन पक्ष के मामले में यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 01.02.2025 को लगभग शाम 7:00 बजे, आवेदनकर्ता ने तीन अन्य नामजद अभियुक्त व्यक्तियों और 10-12 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर परिवादी के पुत्रों और उनके मित्रों को लाठी और लोहे की सरिया से पीटना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनके मुँह और सिर पर गंभीर चोटें आईं।
3. आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि चिकित्सीय आख्या के अनुसार क्षतिग्रस्त ऋषभ श्रीवास्तव को साधारण चोटें आई हैं। क्षतिग्रस्त की एक्स-रे परीक्षण आख्या में किसी भी प्रकार की असामान्यता नहीं पाई गई है और सिर पर कथित चोट की प्रकृति साधारण पाई गई है। अन्य क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को भी साधारण चोटें ही आई हैं। आवेदनकर्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 06.02.2025 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

सह-अभियुक्त साहिबे आलम को इस जमानत आवेदन के संलग्नक-10 के रूप में संलग्न आदेश दिनांक 22.05.2025 के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदनकर्ता के फरार होने या गवाहों के साथ साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु वे आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का वे खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, इस तथ्य कि आवेदनकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उपरोक्त संदर्भित सह-अभियुक्त के जमानत आदेश, चोटों की प्रकृति, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा आवेदक द्वारा जेल में व्यतीत की गई अवधि पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा करने हेतु इस प्रकरण को उपयुक्त पाता हूँ।

6. आवेदनकर्ता रेहान उर्फ नाटू, जो पुलिस थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 191(2), 191(3), 115(2), 351(2), 352, 117(2) के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 38/2025 में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नवत शर्तें न्याय हित में अधिरोपित की जाती हैं:-

(i) आवेदनकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदनकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।

(iii) आवेदनकर्ता इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, तब वह गवाही के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा और वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा। इस शर्त के चूक की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

कोई भी अन्य शर्त/शर्तें जो विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, अधिरोपित की जा सकती हैं।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

7. तदनुसार, यह आवेदन समानता के आधार पर भी स्वीकृत किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 30, 2026

केकेबी/

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”